क्रम-संख्या–179 (ख–3)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 15 सितम्बर, 2021

भाद्रपद 24, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग–2

संख्या 829/2021/सीपी 117/84-2–2021-सी0एन0-1276943
लखनऊ, 15 सितम्बर, 2021

अधिसूचना

प०आ०–307

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (अधिनियम संख्या 35 सन् 2019) की धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, राज्य के प्रत्येक जिला में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग तथा जिला लखनऊ, आगरा, मुरादाबाद एवं बरेली में एक अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना करती हैं जो दिनांक 20 जुलाई, 2020 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी होगा।

2–उक्त के अतिरिक्त, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रारम्भ होने के पूर्व जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में नियुक्त अध्यक्ष एवं सदस्य पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 31 में यथा उपबंधित रूप में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में पद धारण करते रहेगें।

आज्ञा से,
वीना कुमारी,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 829/2021/CP-117/LXXXIV-2–2021-CN-1276943, dated September 15, 2021:

No. 829/2021/CP-117/LXXXIV-2–2021-CN-1276943
Dated Lucknow, September 15, 2021

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 28 of the Consumer Protection Act, 2019 (Act no. 35 of 2019) the Governor is pleased to establish a District Consumer Disputes Redressal Commission in each district of the State and an additional one in the districts of Lucknow, Agra, Moradabad and Bareilly which Shall be effective with retrospective effect from July 20, 2020.

2. IN addition to the above, the President and members appointed in the District Consumer Disputes Redressal Commission appointed before the commencement of the Consumer Protection Act, 2019 shall continue to hold office as the President and members of the District Consumer Disputes Redressal Commission as provided in section-31 of the aforesaid Act.

By order,
VEENA KUMARI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 316 राजपत्र–2021–(672)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 2 सा0 उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप–2021–(673)–150 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।